सत्रवाद 174/16

G-R 724/16

08.06.2020

काराधीन अभियुक्त गब्बा उर्फ गजेन्द्र पंडित की ओर से दाखिल जमानत का आवेदन दिनांक 15.02.2020 को प्रा ई फाईलिंग के माध्यम से दाखिल किया गया। जमानत आवेदन की कॉपी विद्वान स० अ० प्रदा० को दी गई। इसे अभिलेख के साथ रखें तथा दिनांक 09.06.2020 को सुनवाई हेतु प्रस्तुत करें।

लोकअभियोजक

05.06.2020

काराधीन अभियुक्त गब्बा उर्फ गजेन्द्र पंडित की ओर से दाखिल जमानत आवेदन दिनांक 15.02.2020 ~~08.06.2020~~ पर सुनवाई हेतु अभिलेख उपस्थापित किया गया। पुकार पर अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता न्यायालय में उपस्थित हुए।

जमानत आवेदन को चालित करते हुए बचाव पक्ष के विद्वान अधिवक्ता निवेदन करते है कि प्रार्थी अभियुक्त बिल्कुल ही निर्दोष है तथा कोई अपराध नहीं किये हैं। प्रार्थी अभियुक्त को गलत ढंग से फंसाया गया है प्रार्थी अभियुक्त के विरुद्ध कोई भी स्पष्ट आरोप नहीं है प्रार्थी अभियुक्त का नाम प्राथमिकी में नहीं है प्रार्थी अभियुक्त बिना किसी अपराध के दिनांक- 11.11.16 को P/W के आधार पर प्रस्तुत काण्ड में रिमांड किया गया था से कारावासित है प्रार्थी अभियुक्त को तीन वर्ष से अधिक दिन कारा में बीत चुका है प्रार्थी अभियुक्त उचित प्रतिभूति का बंध-पत्र दाखिल करने को तैयार है।

अतः प्रार्थी अभियुक्त को जमानत पर मुक्त करने की कृपा की जाए।

अभियोजन की ओर से विद्वान स० लो० अभि० जमानत का विरोध करते हैं।

जमानत आवेदन पर सुना। अभिलेख का अवलोकन किया। अभिलेख के अवलोकन से ...

राधोपुर - 174/16
G.R. 724/16

अभियुक्त इस कांड के अप्राथमिकी अभियुक्त है। परन्तु प्रार्थी अभियुक्त के विरुद्ध धारा - 384, 504, 506 भा० द० वि० एवं 66 I.T. Act के अन्तर्गत अपराध का संज्ञान लिया गया है। प्रार्थी अभियुक्त का पूर्व से आपराधिक इतिहास है जिसका उल्लेख कांड दैनिकी के कंडिका - 41 में किया गया है। प्रार्थी अभियुक्त के विरुद्ध इस मुकदमा के अलावे अन्य 15 मामले के भी अभियुक्त है। प्रार्थी अभियुक्त को P/W के आधार पर दिनांक 11.11.16 को इस वाद में रिमांड किया गया था तत्पश्चात अन्य आपराधिक मामलों में संलिप्त रहने के कारण अन्य कांड में प्रार्थी अभियुक्त के कारावासित हो विद्वान अधिवक्ता द्वारा दिनांक - 15-02-2020 को जमानत का आवेदन दाखिल किया गया जिसे प्रस्तावित नहीं किया गया। उक्त आवेदन को प्रचालित करने हेतु आवेदन दिनांक 08-06-2020 को ई फाईलिंग के माध्यम से दाखिल किया गया है। अन्य सह अभियुक्तों को पूर्व द० प्र० सं० की धारा - 167(2) के तहत जमानत दी गई है जबकि सह अन्य अभियुक्त ~~को विद्वान~~ संतोष महता को संज्ञान पश्चात विद्वान पूर्ववर्ती न्यायालय द्वारा दिनांक - 28-05-18 को जमानत पर मुक्त किया गया है। अभिलेख अवलोकन से यह भी विदित होता है कि आवेदक गजो उर्फ गजेन्द्र पंडित के ऊपर अन्य अभियुक्तों के साथ मिलकर रंगदारी, लूट और डकैती जैसे संगीन एवं गम्भीर अपराध में लिप्त रहने का आरोप है। अभियुक्त का आपराधिक इतिहास कांड दैनिकी के कंडिका - 41 में वर्णित है। उपरोक्त तथ्यों तथा मामले की गम्भीरता को देखते हुए प्रार्थी अभियुक्त को जमानत की सुविधा देना न्यायोचित नहीं समझता हूँ।

अत: प्रार्थी अभियुक्त गजो उर्फ गजेन्द्र पंडित की ओर से दाखिल जमानत आवेदन दिनांक 15.02.2020 को Rejected किया जाता है।

लेखापित